भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3346
दिनांक 08 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

भारत में चिकित्सा लापरवाही के मामले

†3346. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेशः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में चिकित्सकीय लापरवाही के कारण हुई मृत्यु और अन्य शारीरिक विकलांगता/विकार के मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार कुल संख्या कितनी है;
(ख) पिछले दस वर्षों के दौरान देश में पेशेवर कदाचार के लिए दोषी ठहराए गए चिकित्सकों की संख्या सहित चिकित्सा लापरवाही के मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार प्रतिशत कितना है;
(ग) क्या देश में चिकित्सकीय लापरवाही के दर्ज मामलों के आंकड़ों का केंद्रीकृत संग्रह है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय द्वारा राज्यों को यह निर्देश दिए जाने की संभावना है कि वे स्वास्थ्य के राज्य विषय की सूची में होने की बात के मद्देनजर चिकित्सकीय लापरवाही के ऐसे आंकड़ों का अनुरक्षण राज्य स्तर पर करें और देश में चिकित्सकीय लापरवाही को कम करने के लिए उन आंकड़ों को केन्द्रीय स्तर पर संग्रहीत करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या है;
(ङ) देश में चिकित्सा लापरवाही के मामलों के निपटान की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले नियमों और दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या सरकार ने इस मुद्दे का समाधान करने के लिए कोई कड़े दिशानिर्देश तैयार किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019, राज्य आयुर्विज्ञान परिषद (एसएमसी)/सदाचार और चिकित्सक रजिस्ट्रीकरण बोर्ड (ईएमआरबी) को अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी पंजीकृत चिकित्सक द्वारा किए गए किसी भी वृत्तिक या सदाचार संबंधी अवचार के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम आरएमपी के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करता है। एसएमसी/ईएमआरबी के निर्णय के विरुद्ध अपील का भी प्रावधान किया गया है। देश में दर्ज चिकित्सा संबंधी लापरवाही के मामलों का डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

*****